

11.2 पत्रावली चेरा हुई। वकील सार्थी उपस्थित। विपक्षी  
भूमिधारी तहसीलदार डूंगला से पर्याप्त भूमि की  
वर्तमान समय में उपलब्ध क्षेत्र की रर से दुगुनी  
राशि 281161 - अठ्ठाइस हजार एक सौ सोलह रुपया मात्र  
जसिये ई. चालान नम्बर 68502443 दिनांक 16.11.22  
को राज्य सरकार के पक्ष में 0029 मह में सार्थी द्वारा  
जमा करा दिये गये हैं। चालान की प्रति संलग्न पत्रावली  
में।

P.T.O.



बकील सार्पों को सुना गया। पत्रावली का एवटक्षीनार  
 डूंगला से प्राप्त रिपोर्ट का एव राजस्व रेकार्ड का इन्वेंटरी  
 किया गया। बाद जांच इन्वेंटरी पर्याप्त सार्पों का  
 प्रारम्भिक पत्र बन्वर्गि द्वारा 251 (ए) राजस्व  
 कार्रकारी अधिनियम 1955 के निरन्तरण हेतु शर्त  
 पाया गया है। अतः सार्पों का प्रारम्भिक पत्र बन्वर्गि  
 राजस्व कार्रकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए)  
 के तहत प्रदत्त प्रावधानानुसार निरन्तरण योग्य होने से  
 सार्पों का प्रारम्भिक पत्र स्वीकार किया जाता है।  
 निष्पत्ति पुस्तक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली  
 किया गया। निष्पत्ति की प्रति पालतार्क एवं बाक्यम  
 कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली में भव और  
 कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है। पत्रावली में  
 कार्यवाही इसी स्तर पर बंद की जाती है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार लेकर नम्बर से कम  
 है।

**उपखण्ड अधीनकारी**  
**डूंगला**

THE JUDGE  
 DISTRICT